राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
दूरभाष: 0141-2227481 फैक्स: 2227602 टोल फ्री हेल्पलाईन: 15100/9928900900
ई–मेल: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाईट: www.rajasthan.nalsa.gov.in

क्रमांक: एफ–9(307)/रालसा/स्टोर/2026–27/ 34113 दिनांक: 26/10/2026

सीमित निविदा– 4 /2026–27

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर में पदस्थापित अधिकारीगण के चैम्बर में निर्देशानुसार वुडन बोर्ड मय एक्रेलिक नेमप्लेट लोगो सहित जिस पर अधिकारीगण के नाम, पदनाम व कार्यकाल अंकित हो, तैयार करवाया जाने हेतु अधिकृत रजिस्टर्ड फर्मों/डीलरों/विक्रेताओं/से निम्नानुसार सामग्री क्रय करने हेतु, बन्द लिफाफों में सीमित निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:–

क्र.सं.	सामग्री/कार्य का विवरण	मात्रा	कुल व्यय राशि (सभी कर सहित)
1	Wooden Board-1 (Size 5 X 4 sq.ft.)	07	₹ 1,96,000
2	Name Plate Acrylic-30 (2"X24"), 3 Year Replacement New Plate As per direction		
3	Logo Acrylic-2 (8"X 8')		
4	Menufacture & Installation Work-1		
5	Plates of Stainless Steel (2"X24")	14	

सीमित निविदा दिनांक 02.11.2026 को दोपहर 02:00 बजे तक स्वीकार की जावेंगी, इसके पश्चात् प्राप्त सीमित निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त सीमित निविदा उसी तिथि को दोपहर 03:00 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में विभागीय उपापन समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेंगी।

सीमित निविदा की शर्तें:–

01. निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदा भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखते हुए प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।
02. निविदा बंद लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।
03. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के अलावा अन्य कोई भी शर्तें स्वीकार नही होंगी।
04. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को बिना कारण बताये निविदा किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा।
05. निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों, दोनों में बिना कांट–छांट स्पष्ट रूप में अंकित होनी चाहिए। शब्दो एवं अंको में राशि में अंतर होने पर शब्दों में अंकित राशि सही मानी जावेगी।
06. निविदा में प्रेषित दरों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स देय हो तो निविदा में अलग से अंकित करें।
07. निविदा के साथ अधिकृत व्यवसायी का प्रमाण–पत्र व जी.एस.टी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
08. आयकर व जी.एस.टी. यदि लागू होगा तो नियमानुसार बिल में से कटौती की जावेगी।
09. आपूर्तिकर्त्ता को उक्त सामग्री निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर में कार्यादेश जारी होने के 5 कार्य दिवस में सप्लाई कर कार्यालय में संस्थापित करनी होगी।
10. सामग्री उच्च क्वालिटी की एवं Specification के अनुसार ही होनी चाहिए।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
दूरभाषः 0141-2227481 फैक्सः 2227602 टोल फ्री हेल्पलाईनः 15100/9928900900
ई–मेलः rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाईटः www.rajasthan.nalsa.gov.in

11. निविदादाता को सामग्री संस्थान में ही उपलब्ध करवाकर वुडन नेम बोर्ड को स्थापित करना होगा, जिसका विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।
12. अन्य किसी भी प्रकार का लोड़िंग/अनलोड़िंग/इंस्टालेशन चार्ज विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
13. आपूर्ति की गई सामग्री की सफल स्थापना पर सफल निविदादाता द्वारा संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित इंस्टालेशन रिपोर्ट जमा करें।
14. सफल निविदादाता, स्थापना के दौरान, सरकारी परिसर/संपत्ति कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, अन्यथा वह उसे मूल स्थिति में पुनर्स्थापित अपनी लागत पर करेगा।
15. सप्लाई/इंस्टालेशन संतोषप्रद होने के उपरान्त ही भुगतान देय होगा।
16. किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिम्मेदार नहीं होगा।
17. उक्त शर्तों के अतिरिक्त RTPP नियम 2013 की शर्तें भी लागू होगी।

निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांकः एफ–9(307)/रालसा/स्टोर/2026–27/3414–17 दिनांकः 26/10/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
2. प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा, विभागीय वेबसाईट व SPPP पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित पत्रावली।
4. मैसर्स

उप सचिव–प्रथम
(स्टोर प्रभारी)
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।